

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 569 / 2010

संस्थापन दिनांक 08.09.2010

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला
भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—भोला पुत्र रामसिंह परिहार उम्र 19 साल
2—हरेन्द्र पुत्र मेहताबसिंह गुर्जर उम्र 31 साल
निवासीगण ग्राम डांग सरकार थाना गोहद चौराहा
जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 379 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि आरोपी हरेन्द्र ने शासकीय भूमि, भूमि सर्वे क्रमांक 762 और आरोपी भोला ने शासकीय भूमि, भूमि सर्वे क्रमांक 822 स्थित डांग थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर दिनांक 14.07.10 को 15:00 बजे बिना विधिपूर्ण अधिकार के शासन को निहित भूमि में से शासन द्वारा समनुदेशित न किए जाने पर भी खदान के रूप में खनिज गिट्टी निकालकर चोरी कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.07.10 को 03:00 बजे डांग सरकार स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 762 व 822 में अवैध गिट्टी उत्खनन की जांच खनिज निरीक्षक प्रेमप्रकाश अ0सा04 व पटवारी रामशंकर अ0सा01 और एस.डी.एम. एस.के. दुबे अ0सा02 के द्वारा की गयी। तब सर्वे क्रमांक 762 में कार्यरत मजदूरों ने बताया कि उन्हें आरोपी हरेन्द्रसिंह गुर्जर द्वारा मजदूरी पर रखकर अवैध गिट्टी उत्खनन का कार्य कराया जा रहा है और सर्वे क्रमांक 822 पर कार्यरत मजदूरों द्वारा बताया गया कि उनसे आरोपी भोला द्वारा कार्य कराया जा रहा है। घटनास्थल पर डम्पर क्रमांक एम0पी0-07-जी.ए.0725 और

एम0पी0-30-एच.0256 गिट्टी भरकर परिवहन को तैयार थे। तत्पश्चात फरियादी रामशंकर दौहरे अ0सा01 ने थाना गोहद चौराहा पर आवेदन प्र0पी-1 दिया जिस पर थाना गोहद चौराहा में अप0क्र0 118/10 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-2 दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपी हरेन्द्र ने शासकीय भूमि, भूमि सर्वे क्रमांक 762 और आरोपी भोला ने शासकीय भूमि, भूमि सर्वे क्रमांक 822 स्थित डांग थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर दिनांक 14.07.10 को 15:00 बजे बिना विधिपूर्ण अधिकार के शासन को निहित भूमि में से शासन द्वारा समनुदेशित न किए जाने पर भी खदान के रूप में खनिज गिट्टी निकालकर चोरी कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. फरियादी रामशंकर दौहरे अ0सा01 ने कथन किया है कि वह दिनांक 14.07.10 को डांग सरकार गोहद स्थित पटवारी हल्का क्रमांक 36 का पटवारी था। उक्त दिनांक को एस.डी.एम. गोहद और खनिज अधिकारी भिण्ड उसे लेकर डांग सरकार जांच हेतु गये थे। तब सर्वे क्रमांक 762 और सर्वे क्रमांक 822 में दो डम्पर गिट्टी से भरे हुए खड़े थे और मजदूर गिट्टी भर रहे थे। तब वहां उपस्थित मजदूरों से पूछने पर उन्होंने बताया कि वह हजार रुपये रोज की मजदूरी से डम्पर भरते हैं और डम्पर हरेन्द्रसिंह गुर्जर व भोला परिहार के हैं। वहां पर मुलजिम नहीं थे फिर एस.डी.एम. ने उससे आवेदन मांगा और मजदूरों के कथन लेने को कहा जिस पर से उसने आवेदन प्र0पी-1 एस.डी.एम. को दिया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त आवेदन पर थाना प्रभारी को कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिया था जिस पर उसने एफ.आई.आर. प्र0पी-2 लिखवाई थी जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौके पर सात मजदूर पाये थे लेकिन वह बाहर के थे और घटना को सात साल हो गये हैं इसलिए उसे याद नहीं है। उसके द्वारा कथन लेकर दस्तोवज प्र0पी-3 बनाया गया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवादित सर्वे का अक्स प्र0पी-4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवादित सर्वे क्रमांक का खसरा प्र0पी-5 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटनास्थल से डम्पर को थाने पर ले आई थी और वहीं खड़ा कर दिया था। नक्शामौका प्र0पी-6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। डम्पर का नंबर काफी समय होने से आज उसे याद नहीं है। जप्ती पत्रक प्र0पी-7 व 8 उसके समक्ष बनाया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
6. एस.के. दुबे अ0सा02 ने कथन किया है कि वह दिनांक 14.07.10 को गोहद एस.डी.एम. के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को दोपहर 3 बजे वह, खनिज निरीक्षक व हलका पटवारी डांग पहाड़ी पर गिट्टी उत्खनन की जांच करने

गये थे तब सर्वे क्रमांक 762 पर उपस्थित मजदूरों ने बताया था कि उन्हें आरोपी हरेन्द्र ने मजदूरी पर रखकर गिट्टी उत्खनन कराई है। सर्वे क्रमांक 822 पर भोला परिहार द्वारा गिट्टी उत्खनन का कार्य कराया जा रहा है। मौके पर दो गिट्टी के डम्पर भरे हुए खड़े थे जिन्हें मजदूरों सहित थाने पर लाये थे।

7. साक्षी प्रेमप्रकाश राय अ0सा04 का कथन है कि वह दिनांक 14.07.10 को भिण्ड में खनिज अधिकारी के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को दोपहर तीन बजे वह एस.डी.एम. गोहद, और पटवारी डांग सरकार के साथ अवैध गिट्टी उत्खनन के लिए जांच में गया था। जांच के दौरान सर्वे नंबर 762 नौइयत पहाड़ में काम करने वाले मजदूरों ने बताया था कि उन्हें हरेन्द्रसिंह गुर्जर द्वारा मजदूरी पर रखा गया है और उसी की ओर से गिट्टी उत्खनन करने का काम कर रहे हैं सर्वे क्रमांक 822 पर मजदूरों ने बताया था कि वह भोला परिहार की ओर से गिट्टी उत्खनन का कार्य कर रहे हैं। मौके पर डम्पर क्रमांक एम0पी0-07-जी.ए. 0725 और डम्पर क्रमांक एम.पी.-30-एच.-0256 गिट्टी ले जाने के लिए तैयार खड़े थे। मजदूरों ने उक्त डम्पर व मोटरसाइकिल भोले पुत्र रामसिंह परिहार की होना बताया थी।
8. प्रकरण में साक्षी पप्पू सहरिया, घनश्याम सहरिया, भरत सहरिया, सुरेन्द्र सहरिया, रामस्वरूप सहरिया, जगमोहन सहरिया, सोनेराम सहरिया, का पता ज्ञात न होने से अभियोजन उन्हें साक्ष्य में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है और इस संबंध में अभियोजन ने तस्दीक पंचनामा पेश किया है कि साक्षीगण का पता ज्ञात नहीं हो रहा है।
9. साक्षी बालकृष्ण जोशी अ0सा03 का कथन है कि वह दिनांक 14.07.10 को थाना गोहद चौराहा पर प्र0आरक्षक गश्ती के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को रामशंकर अ0सा01 पटवारी हल्का नंबर 36 तहसील गोहद द्वारा एक आवेदन पत्र शासकीय जमीन से अवैध उत्खनन बाबत दिया था जिस पर से उसके द्वारा अप0क0 118/10 धारा 379 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की थी जो प्र0पी-2 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही घटनास्थल पर पहुंचकर उसके द्वारा घटनास्थल का मानचित्र फरियादी की निशादेही पर बनाया जो प्र0पी-6 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा घटनास्थल पर खड़े गिट्टी से भरे डम्पर क्रमांक एम0पी0-07-जी.ए.0725 मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-30-एम.सी.1534 स्पलेण्डर तथा एक डम्पर एम0पी0-30-एच.ओ.256 जप्त किया था जिसका जप्ती पंचनामा क्रमशः प्र0पी-7 व 8 है जिनके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा पप्पू सहरिया, घनश्याम सहरिया, भरत सहरिया, सुरेन्द्र सहरिया, रामस्वरूप सहरिया, जगमोहन सहरिया, सोनेराम सहरिया, प्रेमप्रकाश राय खनिज अधिकारी भिण्ड व एस0के0 दुबे एस. डी.एम. गोहद तथा पटवारी हल्का नंबर 36 रामशंकर अ0सा01 के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किए थे। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा अभियुक्त भोला को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-9 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा दिनांक 26.08.10 को आरोपी हरेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-10 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
10. साक्षी बिजेन्द्र अ0सा03 ने कथन किया है कि वह आरोपी भोलाराम को नहीं जानता है। उसके समक्ष दिनांक 14.07.10 को पुलिस ने भोलाराम को

गिरफ्तार नहीं किया है। गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-9 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. तीनों प्रत्यक्ष साक्षीगण रामशंकर अ0सा01, एस.के.दुबे अ0सा02 व प्रेमप्रकाश अ0सा04 ने घटनास्थल पर आरोपीगण की उपस्थिति नहीं बतायी है और मजदूरों द्वारा ज्ञात होने से आरोपीगण का नाम वर्णित करना बताया है लेकिन उक्त तीनों साक्षीगण यह भी बताने में असमर्थ रहे हैं कि उन्हें किन मजदूरों ने आरोपीगण का नाम बताया था और ना ही मजदूरों की साक्ष्य अभियोजन द्वारा पेश की गयी है। रामशंकर अ0सा01 और एस.के. दुबे अ0सा02 ने घटनास्थल पर उपस्थित डम्परों का नंबर भी नहीं बताया है। प्रेमप्रकाश अ0सा04 ने डम्पर क्रमांक बताये हैं लेकिन प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने कथन प्र0डी-1 में डम्पर के नंबर नहीं बताये थे। उक्त प्रेमप्रकाश अ0सा04 खनिज अधिकारी है। अतः महत्वपूर्ण व शिक्षित साक्षी है परन्तु उसके द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य में अपने कथन का खण्डन कर कथन प्र0डी-1 में उल्लिखित डम्पर क्रमांक एम0पी0-07-जी.ए.0725 तथा एक डम्पर एम0पी0-30-एच.ओ.256 बताये जाने से इंकार कर अविश्वसनीय कथन दिए हैं। उक्त दोनों डम्पर आरोपीगण के स्वत्व अथवा अधिपत्य के थे इस संबंध में भी अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। अतः परिस्थितिजन्य तथ्यों से घटनास्थल पर गिट्टी परिवहन के लिए आरोपीगण के भारसाधन के संयंत्रों का उपयोग किया जा रहा था इस संबंध में भी अभियोजन ने विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दी है।
12. रामशंकर अ0सा01 ने पैरा 2 में बताया है कि नक्शामौका प्र0पी-6, जप्ती पत्रक प्र0पी-7 व 8 के कोरे कागज पर उसके हस्ताक्षर कराये थे जिन पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। उक्त साक्षी पटवारी है तथा उसके द्वारा दिए गए कथन महत्वपूर्ण हैं। अतः विवेचना में जप्ती की कार्यवाही भी रामशंकर अ0सा01 के उक्त कथन से संदेहास्पद हो जाती है। रामशंकर अ0सा01 ने पैरा 3 में बताया है कि वह निश्चित तौर पर भी नहीं बता सकता कि डम्पर हरेन्द्र व भोला के ही थे और पैरा 4 में बताया है कि डम्पर किसी अन्य लीज वाली जगह से भरकर खड़े कर दिए हों तो भी उसे जानकारी नहीं है। अतः डम्पर में चुरायी गयी वस्तु गिट्टी सर्वे क्रमांक 762 और 822 से प्राप्त की गयी थी इस संबंध में भी विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दी गयी है। प्रेमप्रकाश अ0सा04 ने भी विवेचना की कार्यवाही को चुनौती दी है कि उसके पुलिस कथन प्र0डी-1 ही नहीं लिखे गये जिससे विवेचना ही संदेहास्पद प्रतीत होती है।
13. बालकृष्ण अ0सा03 ने पैरा 3 में बताया है कि उसके समक्ष पैमाइश नहीं हुई पटवारी ने ही पैमाइश कर ली होगी। कौन सा सर्वे क्रमांक 822 है अथवा 762 है जबकि स्वयं रामशंकर अ0सा01 ने नक्शामौका प्र0पी-6 के कोरे कागज पर हस्ताक्षर करना बताया है अतः जिस स्थान से संपत्ति चुराई जाने का आक्षेप है उसे ही चिन्हित किए जाने के संबंध में अन्वेषण संदेहास्पद है।
14. बालकृष्ण अ0सा03 ने पैरा 3 में बताया है कि उसे मौके पर ही डम्पर खड़े मिले थे और एफ.आई.आर. दर्ज करने के बाद विवेचना के लिए उसे प्रकरण मिला था। एफ.आई.आर. 17:10 बजे कायम की गयी है और जबकि 17:55 व 18:00 बजे बनायी गयी है और घटना दोपहर 3 बजे की उल्लिखित है। रामशंकर अ0सा01 ने पैरा 3 में बताया है कि एस.डी.एम. के बॉडीगार्ड व अन्य ड्राइवर डम्परों को थाने पर छोड़ गये थे। एस.के.दुबे अ0सा02 ने भी मुख्यपरीक्षण में बताया है कि

डम्परो को थाने पर लाये थे। अतः जबकि पटवारी व एस.डी.एम. एफ.आई.आर. के पूर्व ही डम्परो को थाने पर लाये थे तब विवेचक को एफ.आई.आर. कायम होने के बाद डम्पर घटनास्थल पर मिलना यह प्रकट करता है कि वह असत्य कथन कर रहा है।

15. बालकृष्ण अ0सा03 ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि घटनास्थल पर भोला मौजूद था जबकि रामशंकर अ0सा01, एस.के. दुबे अ0सा02 ने घटनास्थल पर आरोपीगण की उपस्थिति से इंकार किया है। अतः इस संबंध में भी विवेचक द्वारा विरोधाभासी कथन दिए गए हैं।
16. अतः प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में उपरोक्त विवेचना अनुसार विश्वसनीय परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी अभिलेख पर नहीं है। विवेचक बालकृष्ण अ0सा03 और रामशंकर व एस.के.दुबे अ0सा02 के कथन परस्पर विरोधाभासी हैं। प्रेमप्रकाश अ0सा04 ने भी विवेचना को असत्य होना बताया है। चुरायी गयी संपत्ति जिस स्थान से चुराई गयी वही चिन्हित नहीं है और आक्षेपित भूमि सर्वे क्रमांक 822 व 762 से ही अवैध उत्खनन कर गिट्टी प्राप्त की गयी यह रामशंकर अ0सा01 के कथन से स्पष्ट नहीं होता है। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में असफल रहता है। अतः अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से यह युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी हरेन्द्र ने शासकीय भूमि, भूमि सर्वे क्रमांक 762 और आरोपी भोला ने शासकीय भूमि, भूमि सर्वे क्रमांक 822 स्थित डांग थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर दिनांक 14.07.10 को 15:00 बजे बिना विधिपूर्ण अधिकार के शासन को निहित भूमि में से शासन द्वारा समनुदेशित न किए जाने पर भी खदान के रूप में खनिज गिट्टी निकालकर चोरी कारित की।
17. परिणामतः आरोपीगण को धारा 379 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
18. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
19. प्रकरण में जप्त मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-30-एम.सी.1534 एवं डम्पर क्रमांक एम0पी0-07-जी.ए.0725 और डम्पर क्रमांक एम0पी0-30-एच.0256 पूर्व से सुपुर्दगी में है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित समझा जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0